"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2017—— चैत्र 17 , शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–26/2017/वा.कर(आब.)/पांच (29). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतदद्वारा, "छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिट नियम, 1995" में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :–

संशोधन

1. उक्त नियमों के –

(1) छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिट नियम, 1995 में जहाँ–जहाँ शब्द "सी.एस.2(घ)" आया है, के पश्चात् शब्द "सी. एस.2(घघ)" जोड़ा जावे।

(2) प्रारूप "सी.एस.–2(घ)" के बाद प्रारूप "सी.एस.–2(घघ)" जोड़ा जावे।

(3) नियम 6 के उप नियम (3) के पश्चात् उप नियम (4) जोड़ा जावे, अर्थात :–

"(4) देशी मदिरा के विनिर्माता इकाई द्वारा प्रदाय किए जा रहे मदिरा के कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत की दर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अधिरोपित की गई है। उक्त ड्यूटी के प्रदाय के उपरांत ही मदिरा भण्डारण–भण्डागार में प्रदाय की जा सकती है। प्रदायकर्त्ता द्वारा प्रदाय की गई मदिरा के परेषण के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक टूट–फूट पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) वापसी योग्य नहीं होगी।"

(4) प्रारूप सी.एस.6 (क) में भाग–एक, भाग–दो एवं भाग–तीन में शब्द समूह "(विनिर्माण भण्डागार) से.............................. भण्डारण–भण्डागार...............................तक" के पश्चात् शब्द समूह "देय प्रति शुल्क की राशि जमा कर" जोड़ा जावे, तथा शब्द समूह "उपरोक्त परेषण के साथ वाहन क्रमांक ....

तारीख .... को .... पूर्वान्ह/अपरान्ह में रवाना हुआ'' के पश्चात् शब्द समूह ''प्रति शुल्क के चालान का विवरणः– जमा राशि .... चालान क्रमांक .... तारीख..'' जोड़ा जावे।

(5) प्रारूप सी.एस.6(क) के पश्चात् नवीन प्रारूप सी.एस.6(ख) जोड़ा जावे, अर्थात् :–

परिवहन अनुज्ञा पत्र

प्ररूप सी.एस.–6(ख)

प्रथम भाग : (जारी करने वाले कार्यालय में रखा जावे)

प्रदाय आदेश क्रमांक ..../2017–18 .... दिनांक ....

.... सी.एस.2 (घघ) लायसेंसी देशी मदिरा दुकान .... जिला .... वर्ष ....द्वारा निम्नानुसार देशी मदिरा की देय डयूटी राशि जमा करने पर भण्डारण–भण्डागार .... से निम्नानुसार देशी मदिरा प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है।

विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	मदिरा के प्रकार	प्रू.लि.	जमा डयूटी राशि	चालान क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	मसाला				
2.	प्लेन				
3.	रासी				
	अधिभार की राशि				
	योग :– (शब्दों में) :–				

भण्डारण–भण्डागार अधिकारी उपरोक्तानुसार मदिरा प्रदाय देना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– चालान/सी.जी.टी.सी.की मूल प्रति

उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त
आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी
.... (छ.ग.)

देशी मदिरा का प्रदाय दर्शाने वाली अनुसूची

क्र.	मदिरा का प्रकार	बोतल	अद्धी	पाव	प्रू. ली.	बैच नंबर
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित किया जाता है कि वाहन क्रमांक .... ऊपर दर्शित देशी मदिरा (होलोग्राम चस्पा) सहित तारीख .... को पूर्वान्ह/अपरान्ह रवाना हुआ।

स्थान – ....

दिनांक .... समय................

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

भण्डारण भण्डागार अधिकारी
के हस्ताक्षर (सील सहित)

परिवहन अनुज्ञा पत्र
प्ररूप सी.एस.–6(ख)

द्वितीय भाग : (क्रेता को सौंप दिया जावे, जो परिवहन के दौरान परेषण के साथ रहेगा)

प्रदाय आदेश क्रमांक ..../2017–18 .... दिनांक ....

.... सी.एस.2 (घघ) लायसेंसी देशी मदिरा दुकान .... जिला .... वर्ष ....द्वारा निम्नानुसार देशी मदिरा की देय डयूटी राशि जमा करने पर भण्डारण–भण्डागार .... से निम्नानुसार देशी मदिरा प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है।

विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	मदिरा के प्रकार	प्रू.लि.	जमा डयूटी राशि	चालान क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	मसाला				
2.	प्लेन				
3.	रासी				
	अधिभार की राशि				
	योग :– (शब्दों में) :–				

भण्डारण–भण्डागार अधिकारी उपरोक्तानुसार मदिरा प्रदाय देना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– चालान/सी.जी.टी.सी.की मूल प्रति

उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त
आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी
.... (छ.ग.)

देशी मदिरा का प्रदाय दर्शाने वाली अनुसूची

क्र.	मदिरा का प्रकार	बोतल	अद्धी	पाव	प्रू. ली.	बैच नंबर
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित किया जाता है कि वाहन क्रमांक .... ऊपर दर्शित देशी मदिरा (होलोग्राम चस्पा) सहित तारीख .... को पूर्वान्ह/अपरान्ह रवाना हुआ।

स्थान – ....

दिनांक .... समय.................

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

भण्डारण भण्डागार अधिकारी
के हस्ताक्षर (सील सहित)

परिवहन अनुज्ञा पत्र
प्ररूप सी.एस.–6(ख)

तृतीय भाग : (प्रभारी अधिकार भण्डारण भण्डागार के अभिलेख हेतु)

प्रदाय आदेश क्रमांक ..../2017–18 .... दिनांक ....

.... सी.एस.2 (घघ) लायसेंसी देशी मदिरा दुकान .... जिला .... वर्ष ....द्वारा निम्नानुसार देशी मदिरा की देय डयूटी राशि जमा करने पर भण्डारण–भण्डागार .... से निम्नानुसार देशी मदिरा प्रदाय हेतु आदेशित किया जाता है।

विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	मदिरा के प्रकार	प्रू.लि.	जमा डयूटी राशि	चालान क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	मसाला				
2.	प्लेन				
3.	रासी				
	अधिभार की राशि				
	योग :– (शब्दों में) :–				

भण्डारण–भण्डागार अधिकारी उपरोक्तानुसार मदिरा प्रदाय देना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– चालान/सी.जी.टी.सी.की मूल प्रति

उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त
आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी
.... (छ.ग.)

देशी मदिरा का प्रदाय दर्शाने वाली अनुसूची

क्र.	मदिरा का प्रकार	बोतल	अद्धी	पाव	प्रू. ली.	बैच नंबर
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित किया जाता है कि वाहन क्रमांक .... ऊपर दर्शित देशी मदिरा (होलोग्राम चस्पा) सहित, तारीख .... को पूर्वान्ह/अपरान्ह रवाना हुआ।

स्थान – ....

दिनांक .... समय................

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

भण्डारण भण्डागार अधिकारी
के हस्ताक्षर (सील सहित)

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.